संलग्नक क्रमांक – 05

(1)

कार्यवाही विवरण

ग्राम–सरगबुंदिया, धनढ़नी, खोड़दल, पहंदा एवं पताढ़ी, जिला– कोरबा (छ.ग.) में स्थित वर्तमान ताप विद्युत संयंत्र परिसर में 2X300 मेगावाट (फेस–I, परिचालन) एवं 2X660 मेगावाट (फेस–II, निर्माणाधीन) परियोजना के विस्तार स्वरूप 2X800 मेगावॉट (कुल 1600 मेगावाट) फेस–III अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 27 फरवरी 2026 का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, ग्राम–सरगबुंदिया, धनढ़नी, खोड़दल, पहंदा एवं पताढ़ी, जिला– कोरबा (छ.ग.) में स्थित वर्तमान ताप विद्युत संयंत्र परिसर में 2X300 मेगावाट (फेस–I, परिचालन) एवं 2X660 मेगावाट (फेस–II, निर्माणाधीन) परियोजना के विस्तार स्वरूप 2X800 मेगावॉट (कुल 1600 मेगावाट) फेस–III अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु **लोक सुनवाई दिनांक 27/02/2026, दिन–शुक्रवार, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थानः–खेल मैदान, शासकीय हॉयर सेकेण्डरी स्कूल, ग्राम–सरगबुंदिया, तहसील–बरपाली, विकासखण्ड–करतला, जिला–कोरबा (छ.ग.) के परिसर में** अपर कलेक्टर, कोरबा, की अध्यक्षता में तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा की उपस्थिति में लोकसुनवाई प्रारंभ की गई।

पीठासीन अधिकारी – मैं देवेन्द्र पटेल, अपर कलेक्टर जिला–कोरबा (छ.ग.) आज की लोकसुनवाई का पीठासीन अधिकारी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज ग्राम–सरगबुंदिया, धनढ़नी, खोड़दल, पहंदा एवं पताढ़ी, जिला–कोरबा (छ.ग.) में स्थित वर्तमान ताप विद्युत संयंत्र परिसर में 2X300 मेगावाट (फेस–I, परिचालन) एवं 2X660 मेगावाट (फेस–II, निर्माणाधीन) परियोजना के विस्तार स्वरूप 2X800 मेगावॉट (कुल 1600 मेगावाट) फेस–III अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मण्डल के श्री अंकुर साहू इसका संक्षिप्त जानकरी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगें।

क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–कोरबा के द्वारा अवगत कराया गया भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा ग्राम–सरगबुंदिया, धनढ़नी, खोड़दल, पहंदा एवं पताढ़ी, जिला– कोरबा (छ.ग.) में स्थित वर्तमान ताप विद्युत संयंत्र परिसर में 2X300 मेगावाट (फेस–I, परिचालन) एवं 2X660 मेगावाट (फेस–II, निर्माणाधीन) परियोजना के विस्तार स्वरूप 2X800 मेगावॉट (कुल 1600 मेगावाट) फेस–III अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु दिनांक 06.12.2025 को टी.ओ.आर. जारी किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में दिनांक 10.12.2025 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसके परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव, छतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 20.01.2026 को लोकसुनवाई की तिथि, स्थल एवं समय

Asah Dev

निर्धारित किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, ग्राम–सरगबुंदिया, धनढ़नी, खोड़दल, पहंदा एवं पताढ़ी, जिला– कोरबा (छ.ग.) में स्थित वर्तमान ताप विद्युत संयंत्र परिसर में 2X300 मेगावाट (फेस–I, परिचालन) एवं 2X660 मेगावाट (फेस–II, निर्माणाधीन) परियोजना के विस्तार स्वरूप 2X800 मेगावॉट (कुल 1600 मेगावाट) फेस–III अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत् सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 27.02.2026, दिन–शुक्रवार को प्रातः 11:00 बजे से **स्थानः– खेल मैदान, शासकीय हॉयर सेकेण्डरी स्कूल, ग्राम–सरगबुंदिया, तहसील–बरपाली, विकासखण्ड–करतला, जिला–कोरबा (छ.ग.) के परिसर में** नियत किया जाकर परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित करने बाबत् नोटिफिकेशन के प्रावधानों के अनुसार निम्न कार्यवाही की गईः–लोक सुनवाई की सूचना का प्रकाशन नियमानुसार 30 दिन पूर्व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र– हिन्दुस्तान टाईम्स एवं एक स्थानीय समाचार पत्र– दैनिक भास्कर में दिनांक 25.01.2026 को कराया गया। कार्यालय के पत्र क्रमांक 3138, दिनांक 20.01.2026 के माध्यम से लोक सुनवाई संबंधी दस्तावेज सरपंच/सचिव कार्यालय, ग्राम पंचायत पताढ़ी, ग्राम पंचायत पहंदा, ग्राम पंचायत सरगबुंदिया, ग्राम पंचायत ढनढनी, ग्राम पंचायत खोड़दल, ग्राम पंचायत सण्डैल, ग्राम पंचायत बरीडीह, ग्राम पंचायत कटबितला, ग्राम पंचायत अखरापाली, ग्राम पंचायत उरगा, ग्राम पंचायत बरपाली एवं ग्राम पंचायत तिलकेजा, जिला–कोरबा.(छ.ग.), कार्यालय कलेक्टर, कोरबा, कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा, कार्यालय, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरबा, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा, डायरेक्टर, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.), सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) में आमजनों के अवलोकन/पठन हेतु उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल की वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराई गई है।

पीठासीन अधिकारी :– परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित करता हूं की इस परियोजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव और रोकथम के उपाय के संबंध में विस्तार से जानकारी देवें।

मैं आर.एन.शुक्ला प्रमुख, पर्यावरण, कोरबा पॉवर लिमिटेड, माननीय अपर कलेक्टर महोदय एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं आस–पास के आये हुये सभी सम्मानिय नागरिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। परियोजना की विस्तृत जानकारी पर्यावरण सलाहकार श्री अभिषेक गौतम को देने आमंत्रित करता हूँ।

मैं श्री अभिषेक गौतम, पर्यावरण सलाहकार, कोरबा पावर लिमिटेड, आज की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में करतला तहसील के ग्राम–सरगबुंदिया, खोडडल, ढनढनी, पहन्दा, पताड़ी में मौजूद 600 मेगावॉट एवं 1320 मेगावॉट के साथ 1600 मेगावॉट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट को जोड़कर चरण III थर्मल पॉवर प्लांट के पश्चात की जा रही है। इसका आयोजक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल है। प्रस्तावित परियोजना 1600 मेगावाट क्षमता वाली है. जिसमें अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना और पर्यावरणीय मानकों का पालन करना है। संक्षेप में, यह परियोजना तकनीकी रूप से उन्नत, पर्यावरण अनुकूल और सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है। यह न केवल ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। प्रस्तावित परियोजना के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव से स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसरों में सकारात्मक वृद्धि होगी। इस परियोजना में पुनर्वास से सबंधित कोई समस्या नहीं है। परियोजना का बुनियादी ढाँचा क्षेत्र के लोगों के लिए उपयोगी होगा। प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण या आस–पास के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। परियोजना प्रबंधन के मद में पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा उपायों हेतु 1384.41 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है और सामाजिक पर्यावरण दायित्व गतिविधियों के लिए परियोजना का 33.7 करोड़ रुपये का एक अलग बजट आवंटित किया गया है। परियोजना में पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए ESP, SCR और 275 मीटर ऊंची चिमनी का प्रावधान है। जल संरक्षण के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली अपनाई जाएगी। फ्लाई ऐश का 100 % उपयोग सीमेंट उद्योगों, इंटी के निर्माण के लिये और बॉटम ऐश का उपयोग खाली खदानों के भराय, ईट निर्माण, सड़क निर्माण आदि में किया जाएगा। परियोजना का स्थान कोरबा जिले के करतला तहसील के गांव सरगबुंदिया, धनदानी, खोरडाल, पहंदा और पताढ़ी है। प्रस्तावित परियोजना का क्षेत्रफल 505.58 हेक्टेयर जिसमें हरित पट्टी विकास के 159.04 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। इस प्रस्तावित परियोजना में ईंधन के रूप में कोयला का उपयोग किया जायेगा (लगभग 6.5 मिलियन टन प्रति वर्ष)। प्रस्तावित परियोजना लागत लगभग 16,661 करोड़ रूपये है।

पीठासीन अधिकारी– जी, आपका धन्यवाद। परियोजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देने हेतु। अब मैं यहॉ जितने भी उपस्थित आमजन है, सभी से आग्रह करूँगा कि परियोजना के संबंध में आके जो भी विचार हो, सुझाव हो, एक–एक करके माइक के सामने आयेंगे और संक्षिप्त में अपना बाते रखेंगे। बोलने से पहले अपना और अपने गांव का नाम बतायेंगे। सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्रॉफी हो रही है। इसका लिखित रिकार्ड भी रहेगा और कार्यवाही में पूरी पारदर्शिता बनायी रखी जायेगी। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार हैः –

सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री –

1. **श्री खोलबहरा रतनायका, ग्राम–पताढ़ी, जिला–कोरबा–** आदरणीय आज के लोकसुनवाई में उपस्थित हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी गण और जितने भी हमारे अदानी ग्रुप के आये हैं एवं जितने भी हमारे ग्राम पताढी, ढनढनी खोड्डल, सरगबुदिया, के समस्त ग्रामवासी को मेरा नमस्कार और मै यह कहना चाहता हूं कि जो पूर्व में इसके पहले जो लैंको द्वारा जो जमीन का अधिग्रहण हुआ था उसका अभी तक नौकरी नही लगा है कलेक्टर महोदय उसको ध्यानाकर्षण करावाइये, और मै यह कहना चाहता हूँ कि जितना ज्यादा हो

सके पर्यावरण के संबंध में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण लगाये और अदानी ग्रुप कंपनी को अभी आये करीबन एक ढेड़ साल हुआ है तो प्रभावित ग्राम आश्रित ग्राम है उसमे जनसहयोग के माध्यम से काम कर रहे हैं और हम चाहते है कि यहि गति को आगे बढ़ाते हुए कंपनी को निर्देशित करिये एवं जनता सेवा में काम करते रहें और हमारा पर्सनल अदानी कंपनी को मेरा सर्मथन है।

2. **श्रीमती लता भारद्वाज, ग्राम अखरापाली, जिला–कोरबा–** आदरणीय सभापति महोदय, विभिन्न गांव से आये हुये गणमान्य अतिथि एवं सभी को माननीय कलेक्टर महोदय जी एवं अदानी पॉवर प्लांट से आये हुये अधिकारी गण सभी को धन्यवाद देती हुं और हमारे ग्राम अखरापाली में स्वास्थ्य सुविधाएं नही है इसीलिए हमको कही जाने में परेशानी होती है, किसी कि तबीयत खराब होती है रात को तो बरीडीह या खोड्डल जाना पड़ता है, हमारे ग्राम में स्वास्थ्य सुविधा दी जाये और नजदीक में स्वास्थ्य केन्द्र नही है तो सब गांव में स्वास्थ्य की जांच की व्यवस्था की जाये। इतना कह मै अपनी वाणी को विराम देती हुं।

3. **श्रीमती फूलबाई श्रीवास, ग्राम अखरापाली, जिला–कोरबा–** हमारे गांव में सड़क एवं नाली नही है गंदगी भरी उसको ठीक करने की मै मांग करती हूं।

4. **श्रीमती सुनिता पटेल, ग्राम अखरापाली, जिला–कोरबा –** मै ये कहना चाहती हुं मेरे ग्राम में शिक्षा को बढावा दिया जाये। अदानी पॉवर प्लांट ने सभी स्कुलो में बच्चों को बेग कंपास कॉपी दिया हुआ है तो बच्चों में मनोबल बढ़ा हुआ है। और मै यह चाहती हुं आगे चल कर बच्चों को टेबल, फेन वगैरह दिया जाये ताकि उनके शिक्षा का मनोबल बढ़े, उसी से तो सब लोग शिक्षक, कलेक्टर सरकारी स्कुलो में ही पढ़कर बने होते है। इसीलिए मै रिक्वेस्ट करती हुं कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाये। इतना कह कर मै अपनी वाणी को विराम देती हुं।

5. **श्रीमती तिरिथ बाई पटेल, ग्राम अखरापाली, जिला–कोरबा –** हमारे गांव, पताढ़ी से अखरापाली जाने में नाला पड़ता है, उस नाला में पुल निर्माण को स्वीकृत कराया जाये।

6. **श्रीमती– शिवकुमारी महिलांगे, ग्राम–अखरापाली, जिला–कोरबा–** मेरा गांव के महिलाओं को बाहर काम करने जाना पढ़ता है, इसलिए यही गांव में छोटा मोटा काम दिया जाए।

7. **श्रीमत रीना बघेल, ग्राम– अखरापाली, जिला–कोरबा– –** हमारे गांव में लाइट का बहुत दिक्कत हो रहा है, हमें लाइट चाहिए। और मैं समर्थन करती हुं।

8. **श्रीमती सुशील भारद्वाज, ग्राम–अखरापाली, जिला–कोरबा–** मैं समर्थन करती हुं।

9. **श्रीमती सुनिता महिलांगे, ग्राम–अखरापाली, जिला–कोरबा–** मेरे बच्चे लोग पढ़ लिखकर बैठे है, बिना रोजगार के पढ़ लिखकर बैठे है। वैकेंसी निकलना जरूरी है।

10. **श्रीमती कमलेश्वरी पटेल, ग्राम–अखरापाली, जिला–कोरबा–** हमारे गांव में महिला लोगो के लिए तालाब जरूरी है, पचरी के साथ स्मार्ट तालाब चाहिए है इसका मै मांग करती हुं।

11. **श्री सावित्री अजय कंवर, जिला पंचायत सदस्य, जिला–कोरबा–** मै सबसे निवेदन की हुं की जितने भी पढ़े लिखे आस पास के हमारे क्षेत्र के उनके पढ़ाई अनुसार काम दिया जाये। मै इससे समर्थन करती हुं ।

12. **श्री अजय कुमार कंवर, ग्राम सराईडीह, जिला–कोरबा–** जैसा की आप सभी को विदित है, कि यहां आज जनसुनवाई का कार्यक्रम है मै आप सब को यह बताना चाहूंगा जब लैंको पॉवर प्लांट द्वारा पहले जो

जनसुनवाई हुआ था। उसमें बहुत ही ज्यादा विवाद हुआ था। मगर जो लैंको का कार्यकाल रहा है निश्चित तौर पर लगभग 22 से 23 वर्षों का कार्यकाल रहा बीच मे कुछ दिन तक प्लांट बंद भी रहा मगर उसके बाद में 2024 से जब से यहां अदानी ग्रुप के पास प्लांट गया है निश्चित तौर पर उसके बाद में ठीक से काम प्रारंभ हुआ है 2025 से 2026 के लास्ट के बीच में बहुत सारी योजनाओं के तहत् प्रत्येक ग्राम पंचायत में मैने जैसा देखा है या महसूस किया है, कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में भी सीएसआर मद से बहुत सारे कार्ययोजनाएं कराये जा रहे है। मै प्रशासन से निवेदन आग्रह करना चाहुंगा कि जिस प्रकार से अभी सीएसआर मद से कार्य लगातार कराये जा रहे हैं। पर्यावरण से संबंधित यहां जनसुनवाई है मै एक और विशेष निवेदन आग्रह करना चाहूंगा हमारा क्षेत्र जो कि भौगोलिक दृष्टिकोंण से वन अच्छादित क्षेत्र है, ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जाये जिसके माध्यम से हमारा पर्यावरण कम से कम क्षतिपूर्ति हो और हमारा पर्यावरण संरक्षित रहे, यही निवेदन आग्रह मै सबसे करना चाहूंगा और मै इस अदानी पॉवर प्लांट का समर्थन करता हूं। क्योंकि जिस क्षेत्र में भी आप सभी जानते है कि एक नया प्रोजेक्ट तैयार होता है या प्लांट आता है तो उस क्षेत्र में रोजगार के स्त्रोत मिलतें हैं तो मै हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे है जिनको रोजगार अभी नही मिल पाया है तो मै निवेदन आग्रह करना चाहूंगा कि एक नया प्रोजेक्ट बन रहा हैं, उस प्रोजेक्ट अनुसार मै ऐसा नही कहना चाहता कि आप सबको एक साथ नौकरी दे दे, जिनकी–जिनकी जैसी–जैसी पढ़ाई लिखाई है जिनकी जैसी योग्यता है उसी अनुसार सभी को कार्य में रखा जाये निवेदन एवं आग्रह करना चाहता हूं।

13. **श्री प्रधान सिंह ठाकुर, ग्राम पंचायत पताढ़ी, जिला–कोरबा–** मै अदानी पॉवर प्लांट पताढी को मै यह कहना चाहूंगा कि हमारे इस प्रभावित क्षेत्र में जो बेरोजगार हैं उनको ठेका मजदूर में काम में लिया जाये और वे भी पूरा डिपेंडिग है उनको काम में लिया जाये और जो भी हमारे प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहें हैं और उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हुं और मै समर्थन करता हुं।

14. **श्री लक्ष्मीनारायण रात्रे, ग्राम–पताढ़ी, जिला–कोरबा–** मै यह प्रशासन और कंपनी के उस एकतरफा सोच की आलोचना करते हुए खड़ा हुआ हूं, तो हमारे विनाश की मायावृद्धि है, साहब मै स्पष्ट कर दूं कि हम किसानकारी योजना या औद्योगिक विकास के खिलाफ नहीं है, हम चाहतें है कि देश को बिजली मिले लेकिन क्या इसकी कीमत हमारे बच्चों को फेफड़े या हमारे युवाओं की भविष्यों की विकास का मतलब यह कभी नही होना चाहिए कि बड़ी कंपनी अपना–अपना कमाएं और स्थानीय ग्रामीण केवल रात व बीमारियों के बीच जीने को मजबुर हो जाये, कोरबा जिला आज प्रदूषण का नरक बन चूका है, साहब यह आपको भी ज्ञात है कि आप बिजली बनाकर शहर रोशन करते हैं, हमारे घरों में क्या बचता है, चिमनियों का जहरीला धुंआ और खेतों में बिछी सफेद राखड़ की चादर और मेरी स्थिति और निष्कर्ष शर्ते यह है खोखले वादों का अंत हो हमें कंपनी के मौखिक आश्वसनों से रत्ती भर भरोसा नही है। लेकिन स्थानीय युवा आज भी खेत के बाहर मजदुरी के लिये गिडगिडा रहे है, हमें शत् प्रतिशत स्थानीय और रोजगार का लिखित और कानूनी शपथ पत्र चाहे बिना किसी गांरटी के कंपनी की एक ईट भी यहां नही लगेगी। चुंकि प्रदूषण का रोग हम स्थानीय लोंगो को पड़ रहा है। इसलिए इसका ईलाज का खर्चा भी कंपनी उठाएगी यहां निशुल्क मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पीटल की व्यवस्था करनी होगी, इसके बाद ही आगे का कार्य बढ़ाया जायेगा। जब तक

⑥

काम का पूर्ण निपटान नही होगा नया विस्तार हमारे लिये स्वीकार नही है। प्रशासन को यह चेतावनी पूर्ण विरोध करता हूं कि इस जनसुनवाई को एक केवल कागजी खानापूर्ति समझा जाये। यह प्रशासन हमारे आसपास की स्थानीय ग्रामों की एक–एक नागरिक की मांगों को पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य एवं लिखित नही बनाया गया तो यह प्रशासन समझ ले हमारे स्थानीय और आसपास के सभी प्रत्यके नागरिक लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर धरना करने के लिये मजबूर होगा । बिना लिखित गांरटी के कोई विस्तार नही होगा, हम अपनी जमीन और अपनी सांसो का सौदा किसी भी कीमत पर नही होने देंगें। उम्मीद है पीठासीन अधिकारी महोदय आप के इस कार्यवाही के मिनट्स में मेरी इस सार्वजनिक आपत्ति को प्रमुखता से दर्ज करेंगें।

15. **श्री गणेश प्रभू कश्यप, कोरबा जिला भूविस्थापित अध्यक्ष, जिला–कोरबा–** बहुत बारीकियों से इन कंपनियों को जानता हुं, मै कंपनियों की जीएम और जनसुनवाई में आने वाले अधिकारियों से अवगत करना चाहता हुं, आप विकास का नाम लेते हैं, कोई विकास दिख रहा है, कुछ नही दिख रहा है। वही साडी और कपड़ा दिख रहा हैं वही भूखमरी आपके तरफ से स्वास्थ्य बोलते हो, स्वास्थ्य के नाम से किसके घर में कितना बीमार है, धूल डस्ट है हांथ उठाके के बताओ जी। ईमानदारी से बताओ के किसके घर में बीमारी नही होता है धुल–डस्ट के नाम से हांथ उठा के दिखाओ ध्यान से देखना किसके घर में बीमारी नही है। किसके घर में बेरोजगारी नही है, आप तीन चरणों में प्लांट लिये हो, तीन बार चुतिया बनाये हो हमको, रोजगार के नाम से, बीमारी के नाम से, पहले हमलोग पेंड़ पौधे का फल खाते थे सौ साल जीते थे। आज अट्ठाईस साल में मर जा रहें है । आपके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं हमारे बच्चे घर में नही पढते, दीदी बोलती है पेंसिल पेन बांट दिया। हम एक जोड़ी कपड़े में रहते थे, पढलिख कर कलेक्टर एसपी बनते थे। प्रदूषण नही रहता था। बिजली का प्रकोप नही रहता था, धुआं नही रहता था, शांति से आधा घंटा पढ़ते थे। और बडे बडे स्कुलों में बडे बडे अधिकारी बनते थे। और आज बीस घंटा पढ़ने के बाद भी आपका प्रदूषण हमारा सिर खा रहा हैं। और धुआं हमारे कलेजे में लग रहा है। बिल्कुल आपके जैसे इस घटिया कंपनी को बिल्कुल सलाह नही देंगें। देंगें तो एक शर्त में देंगें कि सारे समर्थकों को हाथ उठा देगा। आप शेयर होल्डर बनाने का वादा करें, सबको पार्टनरशिप बनाये कंपनी ने तभी जमीन देंगें। सबलोग हाथ उठाओ, आपको मालिक बनाये तभी देना नही तो सौ जूता मारना, बीमारी पैदा मत करो बहनों क्योंकि बाहरी लोगों को बड़ा पद दे देगा। बोलता है पढ़ा लिखा वैंकेंसी चाहिए। क्या का वैकेंसी, कितने लोग पढे लिखे हैं उनको नौकरी देने के लिए नही आप लोकल समझ कर चलना सरदर्दी होगा। लोकल आदमी पढ़ लिखकर इंजीनियर बन जाये तो भी नौकरी नही मिलेगी। आप वादा करें कि एक गांव का भी पढ़े लिखे लोगों को सौ प्रतिशत आरक्षण देंगें तब हम आपको परमिशन देंगें। जब उपर वाले का मार पड़ेगा न सीएमडी साहब तब आपके बच्चे न आपकी बात नही मानेगें चाहे कहीं भी रहें। पैसा है तो क्या हुआ आपकी बात आपके बच्चे नही मानगें लेकिन हम जो कहेंगें हमारे बच्चे हमारी बात मानेंगें आप ठेकेदार बाहर से लायेगें आप लिखित में दो कि हम यहां के लोगों को ठेका देंगें राम रावण चले गये तुम कौन हो । मै अपनी आपत्ति लिखित में देता हूं।

16. **श्री गनपत शर्मा, राताखार, जिला–कोरबा–** मै आप सब से सीधे बात करना चाहता हूँ, कि ये जनसुनवाई आखिर किसके लिये है। कागज के लिए या गांव वालों के लिए सम्मानीय गांव वासियों यह प्लांट 20 सालों से चल रहा है , दो बार जनसुनवाई हो चूकी , मै आप से पूछना चाहता हूँ, कि क्या हमारी समस्याएं बंद हुई, पानी की समस्या खत्म होगी, क्या घर–घर मे रोजगार आया अगर नही आया तो तीसरी बार विस्तार क्यों? प्लांट का क्षेत्र बढ़ा मशीनें बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, क्या गांव का विकास हुआ, क्या हमारे स्कूल बेहतर हुए, क्या हमारे अस्पताल सुधरे, क्या युवाओं को स्थायी नौकरी मिली, महोदय, प्लांट का विकास हुआ पर गामीणों का विकास क्यों नही हुआ? आज मै आप से कार्यकारी सारांश का सवाल पुछता हुं, कार्यकारी सारांश क्या है, यह वो दस्तावेज है जिसमें बताया जाता है कितना पानी लगेगा, कितनी धुल निकलेगी , कितना प्रदूषण होगा, कितनी जमीन लगेगी, कितने लोग प्रभावित होगें , लेकिन बताइये क्या ये दस्तावेज गांव 15 दिन पहले उपलब्ध था। यहां उपस्थित गांव के जनप्रतिनिधि बतायें क्या कार्यकारी सारांश आपके ग्राम पंचायत में 15 दिन पहले उपलब्ध था, क्या संरपच–उपसरंपच को 15 दिन पहले समय में दिया गया, क्या ग्राम सभा में पढ़ा गया, अगर जानकारी नही दी गई तो सहमति कैसे मानी जायेगी, जनसुनवाई बिना जानकारी सिर्फ औपचारिकता है, अब बात पुनर्वास की राज्य की पुनर्वास नीति 2007 जिसकी जमीन जायेगी ,जिसकी आजिविका प्रभावित होगी उसे उचित मुवावजा व स्थायी पुर्नवास मिलेगा, मै पुछता हुं कितने परिवार को पुनर्वास मिला कितने लोगो को नौकरी मिली है, कितनों को सिर्फ आश्वसन मिला मै 18–20 सालों से पुनर्वास पूरा नही हो रहा है तो विस्तार इतनी जल्दी क्यों, ग्रामवासीयों से धुल झेल रहे है, पानी पी रहे है , बीमार कौन हो रहा है, फायदा किसे मिलता है कंपनी को मिलेगी, क्या यह संतुलन सही है, ग्रामवासी प्रदूषण झेलेगें और फायदा कंपनी को मिलेगा, संविधान हमे अधिकार देता है,स्वच्छ जीवन का, हवा का, स्वच्छ पानी का, हम विकास के खिलाफ नही है। हम अन्याय के खिलाफ है सीधा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जन सुनवाई में दिये गये वादों का क्या उनका अनुपालन रिपोर्ट सार्वजनिक है , क्या स्वतंत्र ऑडिट हुआ यदि पुराने वादे पूरे नही हुए तो मै वादों पर विश्वास कैसें करें, जनता से मै अपील करना चाहता हूं कि डरो मत जो सच है वो बालो ये मंच आपका है ये जमीन आपकी है ये पानी आपका है ये भवष्यि आपके बच्चों का है। हम स्पष्ट मांग करते है आपसे महोदय पुराने वादों का समीक्षा करें और उन्हे अमल करें। पुनर्वास नीति 2007 का पुरा पालन हो कार्यकारी सारांश सार्वजनिक हो, विस्तार से पहले समस्याओं का समाधाना हो, प्लांट का विकास जरूरी हो सकता लेकिन गांव विकास उससे भी ज्यादा जरूरी है, पुरानी समस्यायें हल किये बिना नया विस्तार स्वीकार नही, प्लांट को अनुमति तभी दिया जाये जब ग्रामवासियों को या प्रभावितों को प्लांट का शेयर होल्डर बना दिया जाये। जब तक न्याय नही तब तक अनुमति नहीं दिया जाये।

17. **श्री अविनाश कुर्रे, जिला–कोरबा –** मै अभी देख पा रहा हुं कि हमारे ग्रामीण में जितने भी बच्चे है किसी के पास रोजगार नही है, सभी को रोजगार दिलाया जाना चाहिए। तब मै अदानी पॉवर प्लांट का समर्थन करूगा नही तो मेरा समर्थन नही है।

18. **श्री दादूराम सोनवानी, ग्राम–देवरमाल, जिला–कोरबा–** पिछले बार लैंको पॉवर प्लांट आया था, वर्ष 2011–12 में प्लांट का पाईप लाईन मेरे खेत से गया। पुराने समय में जो घोषणा किया गया था उसके

अनुसार राशि नही दिये जाने पर हमारे द्वारा कलेक्टर, बिलासपुर कोर्ट, कोरबा कोर्ट, तहसील, आदि में आवेदन दिया गया था। लेकिन ये अदानी पॉवर प्लांट के आने के बाद ही हमारे बातों पर सहमति हुई जिससे अदानी पॉवर प्लांट के आने से हमारे गांव को विकास होगा, उसके बाद 10–12 साल से जो केस चल रहा था, अदानी पॉवर प्लांट आने के बाद में राजीनामा हो गया है। पाईप से पानी देने के लिए स्वेच्छा से दिया गया, किसी भी प्रकार का दबाव पूर्ण नही था। हमारे अदानी पॉवर प्लांट के जो कर्मचारी है बात में व्यवहार में स्वभाव में हमारे साथ धोखा नही किया, उस तरीके से अदानी पॉवर प्लांट धोखा नही करेगा और क्षेत्र का विकास करेगा, विकास करेगा विनाश नही करेगा इस विश्वास के साथ मै समर्थन करता हूं।

19. **श्री अभिषेक कुमार लहरे, ग्राम पंचायत खोडडल, जिला–कोरबा–** मै यह बताना चाहूंगा कि मेरा दोनों किडनी खराब है, और मेरा डायलिसिस होता है, लेकिन मेरे गांव के रोजगार मेरे युवा साथी मेरा जल, जंगल, और जमीन के लिए मै यहां आया हूं किस स्थिति में मै यहां आया हूं उसको मै ही जानता हूं, मै कुछ बातों का रखना चाहूंगा जो लिखित रूप में है, श्रीमान जिलाधीश महोदय, कोरबा लेख है कि कोरबा पॉवर प्लांट के विस्तार के लिए 2011–12 में भू–अर्जन हुआ और न ही आज तक कोई भत्ता और न रोजगार मिला है , ग्राम के भू–स्थापितों को तत्काल एवं जल्द स्थायी रोजगार उपलब्ध कराई जाये यह सर्वप्रथम पहला प्राथमिकता है। हम कोरबा पॉवर प्लांट से यह आशा करते है कि हमारे ग्राम पंचायत खोड़डल की भूमि 2011–12 में भूमि अधिग्रहण किया गया है, उस भूमि का मुवावजा कर चार्ज बढ़ाया जाये ताकि परिवार का भरण पोषण कर सके, और जितने लोग महोदय उस समय मुवावजा को नई अधिग्रहित निकाले है नौकरी की लालसा में संयत्र स्थापित नही होने की स्थिति में आज भी जो पड़ा है मुवावजा राशि को बढ़ाया जाये हम संयंत्र प्रबंधन से यह आशा करते है कि वृद्ध लोगों के लिए पेंशन, विकलांग लोगों के लिए पेंशन एवं सहयोग राशि प्रदान किया जाये। हम प्लांट प्रबंधन से आशा करते है में जो भूमि अधिग्रहण 2011–12 में हुआ है उसमें स्थायी रोजगार दिया जाये, शासकीय दर से भत्ता पेंशन दिया जाये। 2011–12 में बिना सीमांकन किये जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है जिसके वजह से ग्रामीणों का जो जमीन है उनका मुवावजा नही बन पाया महोदय अवगत कराना चाहुगा कि हमारे जो क्षेत्र है अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हमारे जमीन जाने के बाद हमारे पास पहला विकल्प है कि प्रबंधन हमें स्थायी रोजगार दिलाया जाये। महोदय मैं बताना चाहते हैं कि हजारों साल से हमलोग पिछडे है वंचित है दलित है आज भी हमारे जमीन को लिया जाता है और हमें नौकरी नही दी जाती है तो इस जीवन का कोई अस्तित्व नही है, बिखर जायेंगें हम लोग जीने के योग्य नही रहेगें, महोदय मै आप लोगों का बाताना चाहुंगा कि मै अडानी पॉवर प्लांट में अपने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आवेदन कर चुका हूँ, किंतु अदानी कंपनी द्वारा मेरे आवेदन पर कोई विचार नही किया गया। तथा अदानी पॉवर के अधिकारी हमको बोलते हैं, कि हमारे फाउण्डेशन में ऐसा कोई फंड नहीं है। महोदय मेरा संपूर्ण जमीन संयंत्र में चला गया है। इसके बाद भी मुझ रोजगार मुहैया नहीं कराया गया है। महोदय हम लोग का सर्वप्रथम पहला प्राथमिकता है, स्थायी रोजगार, नौकरी रहेगा तो सब सुविधा उपलब्ध कर लेंगे।

20. **श्रीमती कलेश्वरी कुर्रे, ग्राम–रिसदिहापारा, जिला–कोरबा** – 2012 में हमारे गांव का बसाहट किया गया था, जिनका पट्टा अभी तक नहीं मिला है, तो हम अडानी से निवेदन करते हैं कि हमें पट्टा दिया जाए, अगर हमें पट्टा दिया जाता है तो हम अडानी का समर्थन करते है।

21. **श्रीमती भारती कुर्रे, ग्राम–रिसदापारा, जिला–कोरबा**– हम रिसदापारा के निवासी है और हमें पट्टा नहीं दिया गया है और न ही रोजगार दिया गया है। रोजगार देने की सुविधा दीजिए।

22. **श्रीमती हरियरबाई खुंटे, ग्राम–सगरबुंदिया, जिला–कोरबा** – मेरे गांव का जमीन लेकर हमें गांव रिसदापारा में बसाहट दिया गया है, जिसमें पट्टा नहीं दिया गया है, और हमारे छोटे–छोटे बच्चे हैं, इसलिए अडानी हमें पट्टा देंगे, तब हमारा समर्थन है।

23. **श्री शत्रुहन कुर्रे, ग्राम– रिसदिहापारा, जिला–कोरबा**– 2005 में लैंको द्वारा भूमि अर्जन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भूमि अधिग्रहण कर लैकों को अगले साल के लिए लीज में दिया गया पहला और दूसरा चरण अच्छे ढग से चल रहा है आज भी चल रहा है, बीच में सीएण्डडी चलने के कारण स्थिति खराब हुई तो हमारे यहां पूरा बसाहट के लिए जो ग्राम रिसदिहापारा है उसे पहंदा में पुनःबसाहट दिया गया। जिसका पट्टा नही है बेरोजगार अभी पड़े हुये है उनको स्थायी रोजगार नही मिला है तो हमें ये दो तीन चीजें उपलब्ध कराई जाती है। और अडानी के विस्तार के लिए समर्थन देता हूँ।

24. **श्रीमती उत्तरा जोशी, ग्राम–खोडडल, जिला–कोरबा**– आज 15–20 साल हो गया लैंको को खुल हुए और उस समय में भी हमें यह आश्वसन दिया गया था कि हमें नौकरी दिया जायेगा हमारा फार्म 15 साल से भराया गया है और उस समय मे भी हमको बोला गया है कि नौकरी देंगें। आज हम उसी के सहारे में इतने दिन तक इंतजार कर रहे है हम लोग चाहते हैं कि हमें रोजगार दिया जाए, हम बेटियों को न तो मांइके में सहारा न ही ससुराल में तो हम चाहते है। जिससे हमकों कोई सहारा मिले और सुख–सुविधा हो सके और दो पैसे कमा सके। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमें बेरोजगारी से रोजगार मिले और हम अपने पैर में खडे हो सके।

25. **श्री कैलाश बाई जांगड़े, ग्राम– रिसदिहापारा, जिला–कोरबा**– लैंकों प्लांट हमारा जमीन लिया है और जहां बसाहट दिया है, उसमें हमें पट्टा उपलब्ध नहीं कराया गया है और जो अडानी पॉवर प्लांट है, इसलिए मैं कलेक्टर महोदय से प्रार्थना करती हूँ कि जो हमें पट्टा दिया जाना था, उसे उपलब्ध कराया जाये और हमारे गांव में जो बेरोजगार घुम रहे है, उसे रोजगार दिलाया जाये। मेरा समर्थन है।

26. **श्रीमती इंदिरा लहरे, ग्राम– रिसदिहापारा, जिला–कोरबा** – जितने भी भू–स्थापितों की जमीन गई है, उनको रोजगार दिलाया जाए। स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाये। मेरा समर्थन है।

27. **श्रीमती रूतिमा कुर्रे, ग्राम–सगरबुंदिया, जिला–कोरबा** – जिस तरह से हमारे निजी जमीन का अधिग्रहण किया गया था, वहीं हमारे जमीन को भू–विरथापित किया जाए, और मेडिकल सुविधा दिया जाए। हमारे जो बच्चें है जो बाहर पढाई के लिए इच्छुक है उनको सुविधा दिया जाए। और जो प्लांट से आश्रित है गांव में आकस्मिक मौत हो जाती है, उनको अनुकंपा सुविधा दिया जाए, तो मैं अडानी पॉवर का समर्थन करती हूँ।

28. **श्रीमती ज्योति खुंटे, ग्राम–रिसदिहापारा, जिला–कोरबा** – हमारे निवास स्थान रिसदिहापारा का स्थाई पट्टा चाहती हूँ और जितने भी शिक्षित भाई–बहन है, उन्हे रोजगार दिया जाये तो मैं अडानी पॉवर प्लांट का समर्थन करती हूँ।

29. **श्रीमती महेश्वरी, ग्राम–सगरबुंदिया, जिला–कोरबा** – कम से 15–16 साल हो गया लैंको को आये हुए, पट्टा देने की बात किये थे किंतु आज तक पट्टा नही दिये हैं आप जिस दिन से आये हमे पूर्ण विश्वास है जो बेरोजगार घूम रहे चाहे महिला हो या पूरूष हो उनको रोजगार मिलना चाहिए, पट्टा मिलना चाहिए, तो मैं अडानी पॉवर प्लांट का समर्थन करती हूँ।

30. **श्रीमती कुसुमलता खुंटे, ग्राम– रिसदिहापारा, जिला–कोरबा** – हमारे गांव रिसदिहापारा को बसाहट दिये जाने के बाद पट्टा दिया जाना था । वह नहीं दिया गया है, जिसे हमें पट्टा दिया जाए तो मैं समर्थन करती हूँ।

31. **श्रीमती मोहरमति, ग्राम–सगरबुंदिया, रिसदिहापारा जिला–कोरबा** – रिसदिहापारा में बसावट दिया गया है लेकिन आज तक हमे पट्टा नही दिया गया है। हमें पट्टा दिया जाये एवं बच्चों को नौकरी दिया जाये। जो पुरानी जमीन प्लांट में गयी है उस जमीन के एवज में पहले हमको नौकरी दी जाये इस सुनवाई हम विरोध करते हैं।

32. **श्रीमती राजकुमारी रात्रे, ग्राम–सगरबुंदिया, रिसदिहापारा जिला–कोरबा** – ग्राम रिसदिहापारा मे 4–4 डिसमील जो जमीन हमारी ली गई है , आज तक काम नही मिल पाया है। मै अदानी कंपनी से निवेदन करती हुं कि स्थायी रोजगार दिया जाये, जों बेरोजगार लड़के घूम रहें है उनको स्थायी रोजगार दिया जाये।

33. **श्रीमती तमेश्वरी सोनवानी, ग्राम–सगरबुंदिया, रिसदिहापारा जिला–कोरबा–** जो बिना काम के घूम रहे है उनको नौकरी दी जाये ।

34. **श्रीमती रोशनी रात्रे, ग्राम--सगरबुंदिया, रिसदिहापारा जिला–कोरबा** – कलेक्टर साहब से हमारी विनती है कि हमारे रिसदिहापारा में बहुत बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाये हमारे रिसदिहापारा में पानी की बहुत कमी है उसे पूरा किया जाये। जो काम नही करना नही चाहतें उनको 15–16 साल का बेरोजगारी भत्ता दिया जाये और करेंगे उनको काम दिया जाये।

35. **श्रीमती गीता कुर्रे, ग्राम–सगरबुंदिया, रिसदिहापारा जिला–कोरबा** – मै अदानी महोदय से निवेदन करती हुं कि हमारे जो बेरोजगार बच्चें है उनको रोजगार दिया जाये। रिसदिहापारा के लोंगों को पट्टा दिया जाये जिसमें हम बसें है। 4–4 डिसमील की जो भूमि है उसका पट्टा दिया जाये। मै समर्थन करती हुं।

36. **श्रीमती मीना बिंझवार, ग्राम–ढनढनी, जिला–कोरबा** – अभी तक तो नौकरी नही मिली है, भत्ता नही मिली है, हमारे क्षेत्र मे बहुत गरीबी है। खाने पीने तक का कुछ नही है जो भी जमीन हमारी बची है उसको सुरक्षित रहने दिया जाये। राखड़ बांध हमारे गांव के आस–पास नही बनाया जाये, ताकि हमको बहुत दिक्कत नही आये।

37. **श्रीमती गंगा बाई बिंझवार, ग्राम–ढनढनी जिला–कोरबा** – जो पुराना लैको पॉवर प्लांट था वह हमारे जमीन को ले लिया है, जबकि किसी को नौकरी नही दिया है, 14–15 साल हो गये जमीन लिये किसी को नौकरी

नही दिया है, नौकरी तो बहुत दूर की बात है भत्ता तक नही दिया गया। पूरा गरीब गांव है आदिवासी गांव है, बच्चे लोग भूख प्यास में मर रहें है। हम अपनी जमीन नही देना चाहते है। लैंको वाले से सरकार हमारा वादा पूरा करे, बहुत परेशानी हो रही है उसे दूर करने को भी बोल रहें हैं।

38. **श्री छत्रपाल सिंह, ग्राम–पताढी जिला–कोरबा (छ.ग.)** – हमारे ग्राम पंचायत पताढ़ी ढनढनी सरगबुंदिया एवं प्रभावित ग्राम पंचायत के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये, और सभी गांव में जो सीएसआर मद से जो काम होता है, समतलीकरण, पचरी निर्माण, स्टेज निर्माण और जो भी बेरोजगार लड़को को तत्काल से तत्काल स्थायी नौकरी दिया जाये। इसके लिये मै अदानी पॉवर प्लांट की लोकसुनवाई का समर्थन करता हुं।

39. **श्री सुरेश कुमार बिंझवार, ढनढनी जिला–कोरबा** – जो पुनर्वास के तहत् 2007 के तहत् स्थायी नीति के तहत् न तो आज तक नौकरी दिया गया है और न ही भत्ता दिया गया। जो मेरा जमीन 15 साल से प्रभावित है पानी बह रहा उसका निवारण करें और नौकरी दें। मै समर्थन एंव सहयोग करता हुं।

40. **श्री रेशम लाल बिंझवार, ग्राम–ढनढनी, जिला–कोरबा** – पूर्व में लैंको द्वारा हमारे गांव की जमीन को लिया जा चुका है लगभग 14–15 साल हो चुका है परंतु अभी तक किसी को रोजगार नही मिला है न ही भत्ता मिल रहा है, आपसे निवेदन है कि हमारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुये उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

41. **श्री देवकुमार बिंझवार, ग्राम–ढनढनी जिला–कोरबा** – मै इतना कहना चाहता हुं कि लगभग 12–13 साल से जमीन को अधिग्रहण किया गया है लैंकों पॉवर प्लांट के द्वारा उस समय जितना भी पट्टाधारी हैं उनको वादा किया गया था कि नौकरी दिया जायेगा, और आजतक हमको नौकरी नही मिला है। तो मै यह कहना चाहता हुं जितने भी मेरे पट्टेधारी भाई है। उन सभी को स्थायी रूप से नौकरी मिले, और गांव में जितने भी समस्या है जैसे बिजली, पानी, दवाई का उसे दूर करने का प्रयास करें।

42. **श्री लखन दास महंत, पहन्दा, जिला–कोरबा** – मै इस जनसुनवाई के माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं कि पर्यावरणीय लोक सुनवाई का अर्थ क्या होता है, हम भटक गये है अपने उद्देश्य से यहां हम पर्यावरणीय जनसुनवाई के लिये उपस्थित हुये हैं हम सब अपना अपना समस्या बता रहें हैं, पर्यावरणीय जनसुनवाई का मतलब ये है कि प्लांट या परियोजना के विस्तार के लिये यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है जिसके तहत् हम सब एकत्रित हुये हैं, मै कहना चाहता हूं कि लैंको के कार्यकाल में भी पहले जनसुनवाई हुआ था, कुछ विरोध भी हुआ, कुछ समर्थन भी हुआ था। अंततः जो प्रभावित ग्राम के कृषक हैं अपनी जमीन को अधिग्रहण करने दिया गया अंततः लैंको पॉवर प्लांट से अदानी ग्रुप जो स्थापित है अभी वर्तमान में उनके माध्यम से भी आज अपने परियोजना के विस्तार के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया गया है। मै इस जनसुनवाई विरोधी नहीं हुं, हमारे आसपास के पेड़ पौधे, जंगल और पहाड़ पर्वत हैं उस पर इस परियोजना का क्या प्रभाव होगा इस पर हमको ज्यादा फोकस करना है। परियोजना से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का रखरखाव समूचित तरीके से हो। जो इस प्लांट से धुआं निकल रहा है वो सेन्ट्रल और स्टेट गर्वमेंट का गाईडलाईन है उनके मुताबिक हो और किसी को पर्यावरण के संबंध में इस परियोजना से किसी हानि न हो इस बात का ध्यान रखा जाये। गाईडलाईन को फॉलो किया जाये। यहां उपस्थित जिला

प्रशासन का सबसे पहले जिम्मेदारी होगी जो पर्यावणीय नियमो का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का पूरा पालन और गाईडलाईन का पूरा पालन हो, जनसुनवाई सफल हो यही मै चाहता हूं।

43. **श्री चन्द्रभान दास मंहत, ग्राम–पहंदा, जिला–कोरबा–** मेरा सवाल ये है कि जो पर्यावरणीय स्वीकृति की लोकसुनवाई है उसमें 1600 मेगावॉट फेस–तृतीय हेतु जो इकट्ठा हुये है, मै ये कहना चाहता हुं कि विकास जरूरी है लेकिन हमारे जल जंगल जमीन की कीमत पर नही होना चाहिए। मेरा मुख्य सवाल यह है कि प्रदूषण के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, राखड़ उड़ा रहे हैं, गाड़ी में बिना तिरपाल ढके ले जा रहें है वह हमारे घरों तक पहुंच रही है। राखड़ कहीं भी डाल के चले जा रहें हैं, हवा चलने से राखड़ उड़ कर हमारे घरों में जा रही है, फेफड़ा संबंधी बीमारी हो रही है उसका क्या निराकरण है। दूसरा क्या स्थानीय लोंगों को नौकरी के लिए प्राथमिकता दिया जा रहा है। गांव वालो के काम मांगने पर ठेका कंपनी वाले बोलते है कि स्थानीय लोगों को नौकरी नही दिया जायेगा। क्या हम कट्टा ले के जा रहें हैं, हमारे पास स्कील नही है, क्या हमारे पास ऐजुकेशन नही हैं। आज बिहार, बंगाल और उड़ीसा यूपी लोंगों को नौकरी दिया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोंगों को कोई प्राथमिकता नही दिया जा रहा है। क्या हम इसी दिन के लिये जमीन दिये थे, क्या हम लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्या इसी लिये सह रहे हैं। बिहार बंगाल वालों को नौकरी देंगें और यहां के लोगों को तुच्छ समझेगें, आज कृषि भूमि के लिए क्या है प्लांट की राख और गर्मी से खेतो की पैदावार कम होती जा रही है। क्या कंपनी फसल नुकसान का सर्वे कराकर मुवावजा देगी। पॉवर प्लांट को चलाने के लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है, क्या इससे हमारे क्षेत्र का भू–जल स्तर नीचे नही जा रहा है? क्या हमारे खेत या तालाबों के लिए पानी की कमी नही होगी। पुराने ऐश डाईक पहले से ही ओव्हरफ्लो हो रहा है, फ्लाई ऐश को कहां फेका जायेगा, क्या हमारे गांव के करीब होगी या फिर उपजाऊ भूमि पर फेंका जायेगा। राखड़ ले जाने वाली भारी वाहन गांव के सड़को से गुजरती है तो घटनायें होती है, क्या इसके अलग से बेरिकेटेड रोड बनाई जायेगी। बुनियादी ढ़ाचें हेतु सीएसआर मद से शत्‌प्रतिशत आसपास के प्रभावित गांव को दिया जाये और यहां 24 घंटे बिजली होना चाहिए। गांव के प्रभावित लोग जिनकी जमीन गई है या नही गई है उन सभी को स्कील बेस पर या भूमि के बेस पर नौकरी दिया जाये और अगर प्लांट में कोई दुर्घटना घटित होती है, या गैस रिसाव होती है तो गांव वालों को सुरक्षित निकालने के लिए प्लांट के डिसास्टर मैनेजमेंट योजना क्या है क्या इसके बारे में जागरूक करेगें क्या सर। मेरा तो यही मुद्दा है स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उनका निराकरण के लिए एक मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पीटल खोला जाये, एजूकेशन के लिए मार्डन स्कूल खोला जाये ताकि बच्चें पढ़कर और अपना भविष्य सुधार सके।

44. **श्री हीराजी राव निर्मलकर, ग्राम–पहंदा, जिला–कोरबा–** मै छोटा सा किसान हुं, पूर्व मे लैंको ने हमारी जमीन को अधिग्रहण कर लिया और ये आश्वासन दिलाया कि इस खाते में जितने भी वयस्क व्यक्ति हैं उन सब को नौकरी दिया जायेगा, कितु उन्होने छल किया। हम किसानों के वजह से दस हजार लोगों का चूल्हा जल रहा है, मै अदानी पॉवर को समर्थन देता हूं।

45. **श्री देवेश कुमार श्रीवास्तव, ग्राम–बरपाली– जिला–कोरबा–** हम लोग जब बचपन से लेकर के अभी तक देखें है, 2005 में लैको जब यहां पर आया तो हमारे गांव के आसपास क्षेत्रों में कहीं लाईट उतना व्यवस्था

नही था। लेकिन जब लैंको आया तो हमारे गांव जगमगाने लगा हम लोग नया विकास का स्तर को देखे थे। और साथ ही साथ जब जब लैंको के नये अधिकारी के साथ हमारा संपर्क होते गया और हमारा गांव नया नया विकास के स्तर को चढ़ता गया और ये भी देखे हैं कि लगभग अगर हम विरोध भी करें या न करें अदानी को स्वीकृति मिलेगी ही मिलेगी हमारा कहना है कि स्वीकृति मिले सही लेकिन जो भी नौकरी हो या रोजगार हो वो हमारे बच्चों को मिले हमारे किसान सुखी हों। हमारा भी विकास हो। हम लोग यहां रहकर राख खायेंगें, जितना प्रदूषण होगा हम झेलेंगें इसलिए आपसे इतना ही निवेदन करते हैं कि यदि तकलीफ हमें मिले तो रोजगार भी हमारे बच्चों को मिले।

46. **श्री गुलाब दास, ग्राम–उरगा, जिला–कोरबा–** कलेक्टर महोदय आपसे यही निवेदन करता हूं , हमें भविष्य की चिंता है यहां प्रदूषण होता है उसका चिंता हैं। जबसे प्लांट बंद कुछ दिन से तो कितने लोंगों ने यहां पर वृक्षारोपण किया, इतना ही पर्यावरण का उनको सवाल था तो अपना ही पेड़ लगाते। मै चाहता हूं कि यहां पर स्कूल, अस्पताल खुलने से पहले, नशामुक्ति केन्द्र खुलना चाहिए, जिससे सारे लोग नशे से बचे और मै चाहता हूं सर हमारे आसपास के जितने भी आबकारी संस्था है उसको बंद कराया जाये।

47. **श्री प्रीतम शुक्ला, ग्राम–सरगबुंदिया जिला–कोरबा–** अदानी पॉवर प्लांट के आने से यहां पे रोजगार बढ़ी है प्रशासन से यही चाहुंगा, रोजगार की प्रक्रिया को और आगे दूरूस्त करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो लोकल को रोजगार की प्राथमिकता दी जाये। इसलिये मै अदानी पॉवर प्लांट का समर्थन करता हूं।

48. **श्री अनुज कुमार, ग्राम–नया पहन्दा, जिला–कोरबा–** मैं हमारे क्षेत्र में स्कूल, आंगनबाडी रोड और पानी की समस्या को दूर करने के लिए मांग करता हूं। मै अदानी पॉवर प्लांट का समर्थन करता हूं।

49. **श्री कृष्णा राजपूत, ग्राम– सरगबुंदिया– जिला–कोरबा** – मै यहां जनसुनवाई में जितने लोग बैठें है और अदानी पॉवर प्लांट के जो भी अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासन के अधिकारी जो बैठें हैं सब कोई यहां एक आशा के साथ बैठें हैं। इस प्लांट के अगर स्थापना होने से सबकी यही चाह है कि हमको रोजगार मिले, जो बेरोजगारी हम झेल रहें हैं सबके मन में है हमें रोजगार मिले जिसके लिये आपसे निवेदन करता हूं, स्थानीय लोगों को बिल्कुल रोजगार दे, प्लांट लगे पर मेडिकल सुविधा भी दें। बालको में जैसा हॉस्पीटल बनाया गया है वैसा ही हॉस्पीटल आदानी प्लांट के द्वारा बनाया जाये जिससे आसपास के 10 गांव के लोगों को मुक्त ईलाज मिले, ताकि उनका जो ईलाज का खर्चा है वह नही कर सकते हैं। उनको बेहतरं मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए, और हमारे जो बच्चें हैं भविष्य हैं उनके लिए एक अच्छे स्कूल की स्थापना करें ताकि जो बेरोजगार घूम रहें हैं उनको अच्छी शिक्षा लेकर कहीं भी अपने लिए अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें। जो चार पांच बच्चों के माता–पिता है जो अपने बच्चों को पढ़ा नही सकतें है, किसी को सरकारी स्कूल में भेजते है, किसी को और कहीं भेज देतें हैं, ये भी एक समस्या है। प्लांट के स्थापना होने से जो प्रदूषण आयेगा उसके लिए उचित कदम उठाना चाहिए और जितने भी हमारे स्थानीय समस्यायें हैं सबके लिए यदि प्लांट व्यवस्था करता है और वादा करता है तो अदानी पॉवर प्लांट का स्वागत है और समर्थन है।

50. **श्री मोहित प्रकाश रात्रे, नया पहन्दा– जिला–कोरबा** – हमारे यहां जितने भी भू–विस्थापित है उनको स्थायी नौकरी और युवा बेरोजगारों को भी रोजगार उपलब्ध करायें। मै अदानी पॉवर प्लांट का समर्थन करता हूं।

51. **श्री किटीकन राम यादव, ग्राम–पताढ़ी, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – मैं यह कहना चाहता हूँ, अडानी पॉवर प्लांट से हम लोगों को रोजगार दे, बिजली पानी दे, हम लोग का देखभाल करें। मेरा समर्थन है।

52. **श्री मूलचंद खुंटे, ग्राम–पहंदा, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – हमें रोजगार दिया जाय, तब मैं अडानी पॉवर प्लांट को समर्थन देता हूँ।

53. **श्री पुरूषोत्तम लाल सोनवानी, ग्राम–सरगबुंदिया, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – आज 14 साल हो गया, हम लोगों को पट्टा नहीं दिया गया है। अडानी पॉवर प्लांट से हमें विश्वास है कि हमें पट्टा दिया जायेगा, रोजगार दिया जायेगा, पानी, स्कूल, बिजली की सुविधा दिया जाये, तो इसका मैं समर्थन करता हूँ।

54. **सुश्री दीपिका बघेल, ग्राम–पहन्दा, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – अडानी पॉवर ने बहुत सारी सुविधाएं दिए है, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। हमें अच्छी शिक्षा एवं सुविधा दिया जाए, तो मैं अपने गांव के युवाओं के तरफ से अडानी पॉवर प्लांट का समर्थन करती हूँ।

55. **सुश्री नेहा बघेल, ग्राम–पहंदा, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – मैं अडानी पॉवर प्लांट का समर्थन करती हूँ और मैं चाहती हूं कि जितने भी बेरोजगार है, उन्हें रोजगार दिया जाये क्योंकि उद्योग के विकास का कडी है।

56. **सुश्री रितु बघेल, ग्राम–पहंदा, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – मैं अडानी पॉवर प्लांट का समर्थन करती हूँ, और यही उम्मीद करना चाहती हूँ कि हमारे पढाई के लिए अच्छी स्कीम खोला जाए एवं हमें रोजगार उपलब्ध कराया जाए, हमारे गांव के विकास की मांग करती हूँ। हमारे ग्राम वासियों की तरफ से समर्थन करती हूँ।

57. **सुश्री श्रद्धा बघेल, ग्राम– नया पहंदा, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – हमारे ग्राम वासियों की तरफ से समर्थन करती हूँ, जितने भी पढे–लिखे बेरोजगार हैं, उन्हे रोजगार मिलना चाहिए और पढ़े लिखे युवकों को अच्छी शिक्षा एवं स्वास्थ्य की मांग करती हूँ।

58. **श्रीमती संगीता सिंह कंवर, ग्राम–पहंदा, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – मेरा कहना है कि जो बेरोजगार है उन्हे नौकरी दिया जाये, मैं अडानी पॉवर प्लांट का समर्थन करती हूँ

59. **श्रीमती चित्रा बघेल, ग्राम–पहंदा, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – मैं अडानी पॉवर प्लांट का समर्थन करना चाहती हूँ , हमारे यहां पानी की समस्या है, हमें बोर चाहिए।

60. **श्रीमती संगीता बघेल, ग्राम–नया पहंदा, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – मैं इतना चाहती हूं, जो बाहरी लोग है, उन्हें निकाल कर गांव के लोगों को रोजगार में रखा जाए, अगर इस प्रस्ताव से अडानी प्रबंधन सहमत है तो मेरा समर्थन है।

61. **श्रीमती विमला बघेल, ग्राम– नया पहंदा, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – हमारे बघेल मोहल्ला में पानी की समस्या है, हमें पानी की जरूरत है, सुविधा उपलब्ध करायें, मेरा समर्थन है।

62. **श्रीमती मोंगरा बाई धींवरा, ग्राम–तिलकेजा, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – हमें सामुदायिक भवन की सुविधा चाहिए, गांव के तालाब का गहरीकरण करावाया जाए, जिसका काम गांव के स्व–सहायता समूह को दिया जाए, जिससे उचित तरीके से काम हो सके। कलमीभांठा में बहुत ज्यादा शराब बनता है, जिसकी कोई

Asalu [signature]

सीमा नहीं है। हम लोग इसके लिए गांव वाले कार्यवाही भी किए जिसके बावजूद शराब बनान बंद नहीं किया है। इसलिए मैं चाहती हूं कि शराब बंद करवाया जाए।

63. **श्री राजकुमार निर्मलकर, ग्राम–पुराना पहंदा, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – 2004–05 से लैंको ग्रुप अधिग्रहण किया, जिसका सुनवाई हमारे गांव के प्राईमरी स्कूल में जन सुनवाई हुई, तो लैंको बोला हम आपकी जमीन को लेंगे तो हम भू–विस्थापित को सरकार की तरफ से जो मुआवजा है, वह हम देंगे, नौकरी देंगे तथा जो शिक्षित व्यक्ति हैं उन्हे स्थायी रूप से काम दिया जायेगा, जिसका उनका जन सुनवाई पास हो गया। मेरे परिवार का लगभग 5 एकड जमीन संयंत्र में चला दिया है,जो कि दो किश्त में गया है और अभी जो वर्तमान में जो विस्तार हो रहा है, उसमें भी मेरी जमीन जायेगी तो मैं सभापति महोदय से पूछना चाहता हूं कि मेरे परिवार के कितने लोगों को रोजगार दिया गया है, मैं इस क्षेत्र के लोगों को भी पूछना चाहता हूं कि मेरे घर से कितने लोगों को स्थायी नौकरी मिली है, जिसके बाद मैं श्री लखन लाल देवांगन, संसदीय सचिव महोदय के पास गया, जिनको मैं अपनी समस्या बताया, जिसकें बाद उन्होंने मेरी बातों को गंभीरता लेते हुए लेटर हेड में लिखकर दिया और मुझे बोला गया कि कलेक्टर ऑफिस में आवेदन जमा कर एक पावती ले लेना, जिससे मैंने जाकर पावती लिया, फिर उसके बाद लैंको लेटर पहुंचा और लैंको वाले फिर मेरे घर मे आकर धमकाने लगे कि राजनीति करते हो, नेता गिरी करोगे तो आपका नौकरी खतरे में पड जायेगा, तो हम गरीब अपने हक के लिए किसके पास जायें।

फिर उसके बाद मेरे द्वारा लैंको में गया तो लैंको ने मुझे बोला कि आप हमारे दिये राशि अनुसार काम करोंगे तो करों नही तो नहीं करो। मैने कुछ दिन काम किया, जिसके एवज में एडवांस के रूप में 5000रू. लिया, जिसका वेतन से मेरा 7000 रू. ठेकेदार काटा गया, तो मैं यहां उग्र नहीं होउंगा तो कब होउंगा। कार्य करने के बाद भी मेरा वेतन उचित ढंग से नहीं दिया गया।

64. **श्री योगेश कुमार साही, मूल निवासी संघ, छत्तीसगढ़ राज्य प्रभारी, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – आज जो पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई कार्यकम है, इस कार्यकम में मेन भूमिका ग्रामसभा की है, पेसा एक्ट के कानून के तहत है और ये जो कोरबा क्षेत्र है यह पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है, पांचवी अनुसूची क्षेत्र में पहला परमिशन ग्राम सभा से लिया जाता है, सरगबुंदिया, खोडडल, ढनढनी, पहन्दा, पताढी इन सब से ग्राम सभा का परमिशन लेना बहुत जरूरी है, बिना परमिशन के जन सुनवाई करना मेरे हिसाब से बहुत गलत है। इसके पहले भी और कई निर्णय हुए है, जैसे कि उडीसा में एक हेमा डीह है, जहां के लोकल आदिवासियों ने वेदान्ता जजमेंट के तहत् बाक्साईड निकालने का विरोध किया और वह मुददा सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इसका निर्णय हम नहीं ले सकते। निर्णय ग्राम के लोग एवं ग्रामसभा के द्वारा लेना होगा। यह जन सुनवाई की जगह ग्रामसभा का आयोजन कर उसका निर्णय किया जाए, वही उचित होगा, इसलिए मैं जन सुनवाई का विरोध करता हूँ।

65. **श्री निरंजन प्रसाद, बालको, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– अच्छे कार्य का हम स्वागत करेंगे व बूरे कार्य का हम हमेशा विरोध करेंगे। मैं अडानी का स्वागत करता हूँ और मैं ये विरोध करता हूं कि यहां जो काम करते हैं उनके साथ कोई घटना हो जाने पर उनके परिवार को प्रोत्साहन राशि और सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता। महिलाओं को पेंशन नहीं दिया जाता, विधवा पेंशन नहीं दिया जाता।

66. **श्री उदय चौधरी, संघ जिलाध्यक्ष, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– ये जो अडानी पॉवर प्लांट आ रही है और लोगों के द्वारा मुददे से हटकर बात किया जा रहा है, जबकि इसका मेन टॉपिक है पर्यावरणीय स्वीकृति जिसके संबंध मे जनसुनवाई रखी गई है। जिसके दस्तावेज में यह शामिल नहीं किया गया है कि रोजगार का क्या होगा. स्कील डेवलपमेंट का क्या होगा. क्या विकास करेगा। उसके लिए यह पर्यावरणीय स्वीकृति पर्यावरण विभाग देता है, उसके लिए आम जनता नहीं दे सकते, और दे सकते है तो विरोध करना। पर्यावरण विभाग का एक मशीन दिखा दीजिए, जो कोरबा जिले में नाम के दिखा दे कि बिना प्रदूषण के स्तर है। एशिया का नंबर वन प्रदूषित क्षेत्र है। पर्यावरण विभाग ऐसा कोई मीटर लगाया है, जिससे पता चले कि कितना प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है,लोग बीमारियों से मर रहे हैं, और अगर यह बता दिया जायेगा कि पर्यावरण का स्तर कितना उच्च है, तो लोग हार्ट अटैक से मर जायेंगे। एक तो हॉस्पीटल नहीं है, और एसईसीएल हॉस्पीटल का है तो अपोलो भेज देते है। एसईसीएल की एक क्षमता नहीं है क्या खुद का एक हॉस्पीटल खोलने का, अपोलो क्यों भेजता है। जिले में इतने सारे पॉवर प्लांट है तो एक हॉस्पीटल क्यों नहीं खोल पा रहे है,` सभी पॉवर प्लांट मिलके। इसके लिए मुआवजा, रोजगार साबित कीजिए, स्कील डेवलपमेंट साबित कीजिए। यह सब मुददों में शामिल कीजिए। ये पर्यावरण स्वीकृति पर्यावरण विभाग देगा और पर्यावरण विभाग में आज तक एक अधिकारी का नाम नहीं जानता। जो पर्यावरण के हित में कार्य किये हो, जिनका कोई नाम जानता हो, उदय चौधरी एक आम आदमी जिसका पूरा नाम कोरबा जिला जानता है, क्योंकि मैं समाज के हित में काम करता हूँ और पर्यावरण के अधिकारी का नाम इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो प्रदूषण का स्तर रोक नहीं पाए। मैं यह चाहता हूँ कि पहले पूर्व से स्थापित संयंत्रों को मैनेज किया जाए पूर्णतः मैनेज कर प्रदूषण नवीन संयंत्र के स्थापना का कार्य किया जाए। मेरे समाज सेवा के बदले में 10 साल में 10 एफ. आई.आर. किया है। पॉवर प्लांट वाले पैसा देकर के फर्जी एफ.आई.आर. करवाते है। मैं ए.सी. मैकेनिक हूँ कमाकर खाता हूं। भाजपा, कांग्रेस के नेता की तरह नहीं हूँ, जो पॉवर प्लांट के तलवे चाटकर खाता हूँ।

67. **श्रीमती कुमाल्ता साहू, मूल निवासी संघ ब्लॉक अध्यक्ष, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – मैं इस संयंत्र का विरोध करती हूँ।

68. **श्रीमती लता यादव, ग्राम–बरपाली, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – सभी बेरोजगार बच्चो को रोजगार और सैलरी दिया जाये, क्योंकि अस्थाई रूप से जो बच्चे काम कर रहे है और जितनी सैलरी की आवश्यकता है, उतनी सैलरी नहीं दिया जा रहा है। स्थायी लोगों को अच्छी सैलरी दी जा रही है, जो कि अच्छी बात है। जो अस्थाई काम कर रहे है, उनको आज के समय में 14–15 हजार सैलरी दिया जाता है, जो कि आज के समय में घर चलाना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से बालको पॉवर प्लांट के तरफ से हॉस्पीटल बना हुआ है, वैसे ही आपको भी हॉस्पीटल बनवाना चाहिए और सभी को ईलाज की सुविधा मिलना चाहिए। मैं अडानी को अपना समर्थन देती हूँ।

69. **श्रीमती अनिता रात्रे, पूर्व जनपद सदस्य, ग्राम–नया पहंदा, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– मैं चाहती हूँ बेरोजगार बच्चों को रोजगार दिया जाए, और स्वास्थ्य सुविधा बढाया जाए, ताकि पॉवर प्लांट आगे बढे, इसलिए मैं पॉवर प्लांट का सर्मथन करती हूँ।

70. **श्रीमती हीरा बाई, ग्राम–पहंदा, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– इनका जो कार्य है वह पूर्ण हो जाए, अडानी का समर्थन है।

71. **श्री ओमप्रकाश साहू, मंडल अध्यक्ष बरपाली, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – मैं अडानी पॉवर से निवेदन करता हूँ जो भू–विस्थापित है, उन्हे रोजगार, मुआवजा सुविधा उपलब्ध कराया जाये, पर्यावरणीय संबंधी जो भी कार्य है, उन्हे नियम के तहत् किया जाए। जो हमारे मडवारानी मंदिर है और जो भी धार्मिक स्थल है उसमें सी.एस.आर. मद के तहत कार्य कराया जाए। मैं अडानी पॉवर प्लांट का समर्थन करता हूँ।

72. **श्री किशन साव, ग्राम तिलकेजा, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – कोरबा पॉवर लिमिटेड द्वारा 1600 मेगावॉट का तीसरा चरण मे आज जो जन सुनवाई आयोजित की गई है, अभी तक जितने भी प्लांट खुले है, उससे पर्यावरण को क्षति हुई है। सरकार के द्वारा जो भी वृक्षारोपण कराया गया है, उसका देखरेख सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके कारण से पर्यावरण को क्षति होती है। मैं यह चाहता हूं कि पर्यावरण के दिशा मे उचित कार्य हो और वृक्षारोपण करके क्षेत्र को हरितकांति की ओर अग्रसर किया जाए। हॉस्पीटल की सुविधा उपलब्ध कराया जाए, यहां जो भी प्राईवेट संस्थान है, उनके पास स्वंय का हास्पीटल है तो अडानी पॉवर प्लांट के पास भी हॉस्पीटल होना चाहिए, ताकि क्षेत्र की जनता आसानी से अपना ईलाज करा सके। क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। युवा उन्नयन केन्द्र खोला जाए, ताकि मजदूरों को रोजगार मिलें। अडानी का स्वागत है।

73. **श्री संजय वैष्णव, ग्राम–कुदुरमाल, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– आज यहां पर्यावरणीय स्वीकृति की बात हो रही है, तो हम पर्यावरणीय स्वीकृति के बात करेंगे। हमोर गांव के नदी से संयंत्र को पानी की सुविधा उपलब्ध होता है, जिसके बाद भी हमारे गांव का विकास रूका हुआ है, कुदुरमाल के शासकीय स्कूल में हाता नहीं बनवाया गया है, ग्राम के लोगों के लिए नाली, पानी, सड़क, बिजली आदि की व्यवस्था नहीं है। कुदुरमाल निष्क्रिय ग्राम में घोषित हो चुका है। मैं अडानी ग्रुप का स्वागत करता हूँ तथा मेरे ग्राम की ओर से अडानी पॉवर प्लांट को जो भी सहयोग चाहिए मैं दूंगा।

74. **श्री मनीराम हलवाई, ग्राम–तिलकेजा, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– लोक सुनवाई में जो इसका मापदण्ड होता है शासन की ओर से उसका ईमानदारी से पालन कराना चाहिए। जन सुनवाई हो जाता है, प्लांट भी चालू हो जाती है, उसके बाद भी जनता का कुछ नहीं हो पाता। उद्योग प्रबंधन को वृक्षारोपण जैसे–साल, शीशम, सागौन लगाये जाने चाहिए। लैंको से जो पानी निकलता है,उसे पाईप लाईन के माध्यम से हमारे गांव को कृषि कार्य हेतु हमे उपलब्ध कराया जाए।

75. **श्री मनोज कुमार गुप्ता, ग्राम–सरगबुंदिया, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– क्या इस जन सुनवाई हेतु ग्राम पंचायत से स्वीकृति प्राप्त की गई है और यहां आए लोग रेजगार की बातें कर रहे है, जबकि यहां रेाजगार का मुददा नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण के बारे सबको मालूम है, कोरबा में ओर पॉवर प्लांट नहीं लगना चाहिए। यह स्वीकृति न दिया जाए पर्यावरण को बचाने के लिए, अगर पर्यावरण को बचाना है तो पॉवर प्लांट नहीं लगना चाहिए।

76. **श्री अखिलेश जाटवर, ग्राम–सरगबुंदिया, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– यहां जो अडानी का जो विस्तार हो रहा है, उसमें जॉब मिल रहा है, लेकिन 12 घंटे ड्यूटी का प्रावधान है, 400–500 को भुगतान किया जाता है, जो

कि शोषण है और जो भूमि अधिग्रहित किया जा रहा है, उसे औने–पौन दर पर लिया जा रहा है, जो कि अच्छे दर दिया जाना चाहिए, और स्थायी रोजगार दिया जाना चाहिए और 12 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे किया जाना चाहिए।

77. **श्री अनिल खुंटे, जनपद सदस्य, ग्राम–पताढ़ी, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– मेरा क्षेत्र पताढी और खोड्डल सबसे ज्यादा प्रभावित है, जो कि मेरी मांग है कि जितने भी पूर्व भूमि अधिग्रहण हुआ है, उसे उचित तौर पर रोजगार दिया जाए और जो 10 पंचायत प्रभावित हो रहे है,उनमें मैं ग्रीन बेल्ट की मांग करता हूँ। जिसका कार्य अगर हमें सौंप दिया जाता है तो मैं दसों पंचायत में करोडों पेड लगाने की जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन इसे इसी वर्ष ही किया जाए। सी.एस.आर. मद का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उन्नयन कार्य में नियमित तौर पर किया जाए। मैं अडानी पॉवर प्लांट का स्वागत करता हूँ।

78. **श्री भुनेश्वर प्रसाद कुर्रे, ग्राम–पुराना पहंदा, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– सी.एस.आर. मद से पंचायतों मे जो निर्माण कार्य होता है उसमें ग्रम सरगबुंदिया, पहन्दा, पताडी के सब पंचायतों में एक अंग्रेजी स्कूल खोला जाए, जिससे बच्चों का भविष्य सुधर जाए, रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मेरा समर्थन है।

79. **श्री विकास निर्मलकर, ग्राम–बरपाली, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– लैंको पावर प्लांट के आने पर हमारे गांव में किसी भी प्रकार के विकास कार्य नहीं किया गया है, लेकिन अडानी पॉवर प्लांट के आने से हमारे गांव में विकास कार्य बढ़ा है, मै अडानी पॉवर प्लांट का स्वागत करता हूँ।

80. **श्री मनहरण लाल प्रजापति, ग्राम–बरपाली, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– मै अडानी पॉवर प्लांट का तहेदिल से स्वागत करता हूँ। अडानी पॉवर के आने के बाद में हमें सी.सी.रोड और बिजली की सुविधा उपलब्ध हुई है।

81. **सुश्री मुन्नी सिदार, ग्राम–पहंदा, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– 2007 से किसानों का भूमि अधिग्रहण किया गया है, उसके बाद से उन्हे रोजगार, मुआवजा नहीं दिया गया है। अडानी के आने के बाद हमें नौकरी दिया गया है। मैं चाहती हूँ कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाये।

82. **श्रीमती सुनिता साहू, ग्राम–पहंदा, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– पर्यावरण को सुरक्षित रखें, बेरोजगारों को रोजगार दे, किसानों को सुख–सुविधा दें। मैं सहमत हूँ।

83. **श्रीमती रमा, महिला आजीविका समूह, अध्यक्ष, ग्राम–पहंदा, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– अडानी पॉवर के आने के बाद हमारे गांव में बहुत से काम हुए है, मेरा अडानी पॉवर प्लांट को समर्थन है।

84. **सुश्री रंजूलता कुर्रे, बरपाली, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– बरपाली में जो शराब दुकान है, उसे हटाया जाए, आने जाने वाले महिलाओं को परेशानी होती है और बच्चे प्रभावित हो रहे है, मेरा समर्थन है।

85. **श्रीमती रामकुंवर, ग्राम–पहंदा, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– 2005 में जो लैंको के द्वारा हमारी भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसमें हमें अडानी पॉवर प्लांट के आने से हमें विश्वास है कि रोजगार उपलब्ध कराई जायेगी। मेरा समर्थन है।

86. **सुश्री सुष्मिता कमलेश, जिला पंचायत सदस्य, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– आज की जो जन सुनवाई रखी हुई है, इसके बारे मै बोलना चाहती हूं कि आसपास के ग्रामों में स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, पानी की सुविधा के साथ वृक्षारोपण कराया जाऐ, जिससे ग्रामवासियों को परेशानियों को सामना नहीं करना पडे, तभी मैं समर्थन करती हूँ।

87. **श्री आदित्य कुर्रे, ग्राम–सरगबुंदिया, रिसदिहापारा, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– लैंको पॉवर प्लांट के द्वारा जो हमारी घर–जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसके बाद हमें बसाहट दिया जाकर आश्वासन दिया गया था कि हमें पट्टा दिया जायेगा, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है, लगभग 15 साल से। साथ ही बच्चों की उम्र कम होने के कारण रोजगार नहीं दिया गया था, तो मैं अडानी पॉवर प्लांट से निवेदन करता हूँ कि रोजगार और पट्टा दिया जाए तभी मैं अडानी पॉवर प्लांट का समर्थन करता हूँ।

88. **श्री मनीराम भारती, ग्राम–पताडी, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– मैं अडानी पॉवर प्लांट का समर्थन करता हूँ तथा ग्रामवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दिया जाए।

89. **श्री जैनेन्द्र कुर्रे, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, जिलाध्यक्ष, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– अडानी पॉवर प्लांट के आने से जल, जंगल,जमीन को नुकसान होगा, जिससे मेरा विरोध है,जिससे ग्रामवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य सुख–सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो मेरा समर्थन है। मैं अडानी पॉवर प्लांट से निवेदन करता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता ने जो मांग की है, उसे पूर्ण किया जाए।

90. **श्री कन्हैया लाल, ग्राम पंचायत ढनढनी सरपंच, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– कोरबा पॉवर लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित भूमि स्वामियों को रोजगार नहीं दिया गया है। अडानी प्रबंधन के सभी अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि भूमि स्वामियों को स्थायी रोजगार देने की कृपा करें। मैं अडानी ग्रुप का सादर समर्थन करता हूँ।

91. **श्री सुशील विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता सेक्यूलर पार्टी, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– मैं प्रशासन से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो अडानी पॉवर प्लांट स्थापित हो रहा है, जहां से दूषित जल एवं डस्ट उत्पन्न हो रहा है, उसके डिस्मेंटल हेतु क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि अगर यह डिस्मेंटल नहीं होगा तो डस्ट से होने वाला प्रदूषण इस क्षेत्र के लोगों के घर में जायेगा तथा दूषित जल के डिस्मेंटल हेतु कोई व्यवस्था नहीं होगा तो वह जल भूमि के अंदर जायेगा, जिसका उपयोग क्षेत्र की जनता करेंगे, जिससे स्वास्थ्य खराब होगा।

92. **श्री मालिक राम राजवाड़े, ग्राम–कथरीमाल, जिला–कोरबा** – मैं चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत –तरदा, कथरीमाल भी प्रभावित क्षेत्र में आता है, तो कंपनी या शासन द्वारा जो भी जनहित में काम किया जाता है, उसका लाभ इनको भी दिया जाए।

93. **श्री राकेश सूर्यवंशी, जिला महामंत्री, छत्तीसगढिया क्रांति सेना, कोरबा**– मै प्लांट के विस्तार के साथ चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराई जाए।

94. **श्री गोविन्द शर्मा, शांतिनगर, बालको, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– मैं कोरबा पॉवर लिमिटेड के जन सुनवाई का विरोध करता हूँ।

95. श्री डिलेन्द्र यादव, अध्यक्ष, तितिक्षा सामाजिक संगठन, शांतिनगर, बालको, जिला–कोरबा (छ.ग.)– छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयोजित कोरबा पॉवर लिमिटेड की जन सुनवाई का मैं विरोध करता हूँ।

96. **श्री आर.ए.नारायण, शांतिनगर बालको, जिला–कोरबा** – मैं कोरबा पॉवर लिमिटेड के जन सुनवाई का विरोध करता हूँ।

97. **श्री राजेन्द्र भारद्वाज, ग्राम–देवरमाल, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– मैं अडानी द्वारा प्लांट विस्तार के पर्यावरणीय स्वीकृति हो रहा है उसका मैं विरोध करता हूँ। क्योंकि इसके पूर्व जो लैंको पावर प्लांट था, उसके द्वारा आसपास के ग्रामों में प्रदूषण की स्थिति निर्मित हो रही थी, जैसे कि मेरे गांव के अगल–बगल में राखड का डम्प कर दिया गया था। तो मै इस पॉवर प्लांट का पूरजोर से विरोध करता हूँ।

98. **विनय यादव, बालको, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– मैं कोरबा पॉवर लिमिटेड के जन सुनवाई का विरोध करता हूँ।

99. **श्री भूपेन्द्र कुमार साहू, सरगबुंदिया, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– मेरे जमीन अधिग्रहण के बाद 2007 से न मुआवजा दिया गया है और न ही रोजगार दिया गया है। मैं कोरबा पॉवर लिमिटेड के जन सुनवाई का विरोध करता हूँ।

100. **श्री भरत लाल, सरगबुंदिया, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – लैंको पॉवर प्लांट के अधिग्रहण के बाद हमारे ग्राम सरगबुंदिया में जानवरों के चारागाह हेतु भूमि नहीं दी गई। मैं कोरबा पॉवर लिमिटेड के विस्तार की जन सुनवाई का विरोध करता हूँ।

101. **श्री सुरेश दिवाकर, जिलाध्यक्ष, भीम रेजमेंट छत्तीसगढ, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – कोरबा पॉवर प्लांट के विस्तार के लिए जमीन लिया जा रहा है, उसके लिए 5 मांगे है, जिसे मैं लिखित में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

102. **श्री पुरन सिंह कश्यप, ग्राम–सरगबुंदिया, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– मेरी यह मांग है कि हमारी जो जमीन ली गई है, उसके बदले रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।

103. **श्री रामचंद पाटले, ग्राम–कोथारी, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– पर्यावरण जनसुनवाई के समर्थन में मै यहां उपस्थित हुआ हूँ और मै कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में विकास किया जायेगा, स्थानीय बरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराई जायेगी, क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क का विकास कार्य किया जाए, जिससे आसपास के क्षेत्र का विकास हो। उद्योग द्वारा दूषित जल के उपचार हेतु एस.टी.पी.एवं ई.टी.पी. का निर्माण किया जायेगा तथा ग्रीन बेल्ट विकसित की जायेगी। मेरा अडानी पॉवर प्लांट को समर्थन है।

104. **श्री लखनलाल धृतलहरे, ग्राम–पताढ़ी, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– मै अडानी पॉवर प्लांट का समर्थन करता हूँ।

105. **श्री जोहर लाल डहरिया, ग्राम–पताढ़ी, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– मेरा यह मांग है कि अडानी पॉवर प्लांट के आने से आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए कोचिंग सेंटर उपलब्ध कराई जाए, जिससे लोग शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न क्षेत्रों में अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। मै अडानी पॉवर प्लांट का समर्थन करता हूँ।

106. **श्री हिमांशु अनंद, ग्राम– पताढ़ी, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– मैं इस परियोजना का साफ तौर पर विरोध करता हूँ, मैं इस पॉवर प्लांट का विडियो बनाकर रखा हूँ, जिस प्रकार से यहां राखड़ उडकर आसपास के गांवों में फैलता है, जिससे जनता परेशान है। मै अडानी पॉवर प्लांट का विरोध करता हूँ।

107. **श्री अविनाश कुमार सोनवानी, ग्राम–खोडडल, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– 2010–11 में 1759 भू–विस्थापितों का भूमि अधिग्रहण किया गया था, अभी तक 1759 भू–विस्थापितों को स्थायी रोजगार उपलब्ध नहीं कराई गई है। विस्तार परियोजना के पहले 1759 भू–विस्थापितों को स्थायी रोजगार दिया जाए। जमीन अधिग्रहण को 15 साल से अधिक हो गया है।

108. **श्री अशोक कुमार पटेल, कुसमुण्डा क्षेत्र, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – कोरबा जिला का वायु पूर्णतः दूषित हो गया है, कोरबा जिले के भू–विस्थापित, रोजगार और मुआवजा के लिए भटक रहे है, उनको न रोजगार मिल रहा है, ना बसाहट मिल रहा है और जब भू–विस्थापित अपने अधिकार के लिए आवाज उठाते है तो उनके विरुद्ध फर्जी एफ.आई.आर. दर्ज करा दिया जाता है। मै पर्यावरण स्वीकृति का विरोध करता हूँ।

109. **श्री गुलशन कुमार पाटले, उप सरपंच, ग्राम पंचायत–खोडडल, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– 2010–11 में 1759 भू–विस्थापितों का भूमि अधिग्रहण किया गया था, अभी तक 1759 भू–विस्थापितों को स्थायी रोजगार, भत्ता, पेंशन उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रत्येक खाते पर विस्तार के पूर्व स्थायी रोजगार दिया जाए, 2004–05 में अधिग्रहित भूमि में 333 खातों में नौकरी की स्वीकृति मिली थी, जो उस समय नाबालिक थे, उन्हे तत्काल नौकरी दिया जाए। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा हेतु मल्टी स्पेश्यलिटी हॉस्पीटल खोला जाए। अनुसूचित क्षेत्र में आने के कारण भूमि के बदले रोजगार पहली प्राथमिकता है।

110. **श्री बिन्देश्वर, ग्राम पंचायत खोडडल, जिला–कोरबा(छ.ग.)**– हमारे ग्राम का पानी दूषित हो चुका है, उसको भी चेक कराया जाए। अगर विस्तार किया जा रहा है, इससे रोजगार उपलब्ध कराया जाना होगा।

111. **श्री अब्दुल नफीज खान, अधिवक्ता, बालको, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – ये जो जन सुनवाई हो रहा है। अडानी पॉवर प्लांट के विस्तार का जो जन सुनवाई हो रहा है, उसका ई.आई.ए. जो सार्वजनिक रखा गया है। उसका कुछ तथ्य मैं रखना चाहता हूँ। लैंको प्रबंधन के द्वारा जो 330 परिवार का जमीन अधिग्रहण किया गया था, उसमें 300 परिवार को रोजगार दिया गया है, तथा 30 परिवार को नहीं दिया गया है। 660 युनिट के दो संयंत्र निर्माणाधीन है, उसमें लगभग 1700 परिवार का भूमि अधिग्रहण किया गया है, उसमें किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया है, अब वर्तमान में अभी लैंका का डिफाल्ट होने के बाद अडानी ने इसको खरीद लिया, अडानी के खरीदने के बाद जनवरी 2025 में ई.सी. ट्रांसफर किया गया। ई.सी. ट्रांसफर होने के बाद में 22.07.2025 को इसमें संशोधित कर दिया गया, जिसके अनुसार प्लांट का एरिया 114.94 हेक्टेयर था। जो अभी ई.आई.ए. रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया है, उसमें 71.21 हेक्टयर जो जमीन है, उसे रिक्त बता रहे है। जबकि वो प्लांट बनकर 70 प्रतिशत तैयार है। ई.आई.ए. रिपोर्ट में कितने एरिया में प्लांट का विस्तार किया जाना है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। मेरा यह कहना है कि जिन लोगों का जमीन गया है, उन्हे, रोजगार, पानी एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए, बांकी मै लिखित में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

112. **श्री व्यास नारायण सोनवानी, ग्राम–खोडडल, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – इस परियोजना के आने से पर्यावरण का नुकसान होगा, आम जनता के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पडेगा और जो हमारे गांव का भूमि अधिग्रहण किया गया है, उसके बदले में रोजगार दिया जाए। मैं लिखित में अपना आवेदन दे रहा हूँ।

113. **श्री सरोज कुमार भारद्वाज, ग्राम–खोडडल, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – मै अडानी से कहना चाहता हूँ कि लेने की बात को जानते है पर देने की बात को नहीं जानते है। शासन के पास जाने पर लैंको जानेगा बोलकर बताया जाता है, इसलिए मैं इस लोकसुनवाई का विरोध करता हूँ।

114. **श्री शशांक दुबे, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – हमें भूमि के बदले में रोजगार दिया जाए, और सुख सुविधा उपलब्ध कराई जाये, मैं लिखित में अपना आवेदन दे रहा हूँ।

Asala

115. **श्री देवमुरत कंवर, ग्राम–तिलकेजा, जिला–कोरबा (छ.ग.)** – मै परियोजना का समर्थन करता हूँ।

116. **डॉ. जी.डी मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, जिला–कोरबा (छ.ग.)**– हमारे यहां जो पर्यावरण विभाग है। हमको कोरबा पॉवर प्लांट के विस्तार से कोई आपत्ति नहीं है। पर्यावरण विभाग को एक बात कहना चाहता हूँ कि 95 प्रतिशत पर्यावरण प्रदूषित हमारे क्षेत्र में खदानों के माध्यम से हो रहा है और 5 प्रतिशत उद्योगों से हो रहा है और इसके बाद भी कोयला खदान हमारे क्षेत्र में विकास नहीं कर रही है और जितने भी उद्योग है वह कहीं न कहीं अपने क्षेत्र में योगदान दे रहे है। ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाए। कोरबा पॉवर प्लांट का मैं समर्थन करता हूं।

पीठासीन अधिकारी– समय 02:40 बजे। आज की जन सुनवाई में उच्च तौर पर रोजगार, पर्यावरण प्रदूषण, वृक्षारोपण, सी.एस.आर. मद का उपयोग और स्वास्थ्य सेवाएँ संबंधी बाते आयी। अब मैं परियोजना प्रस्तावक से आग्रह करूँगा कि लोगों ने जो–जो बाते रखी है, उसके संबंध में अपना स्पष्टीकरण देवें।

परियोजना प्रस्तावक –श्री आर.एन. शुक्ला– कोरबा पावर लिमिटेड के प्रस्तावित विस्तार हेतु पूर्व से ही 505.58 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। प्रस्तावित विस्तार उक्त उपलब्ध भूमि की सीमा के अंतर्गत ही किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप किसी भी प्रकार के नवीन भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी। विस्तार परियोजना अल्ट्रा–सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित होगी, जो एक पर्यावरण–अनुकूल तकनीक है। स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत अस्पतालों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा समय–समय पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। फ्लाई ऐश का 100 % निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) के दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। साथ ही, फ्लाई ऐश का परिवहन केवल तिरपाल से ढके वाहनों के माध्यम से किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अंतर्गत स्कूल में बैग एवं पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है तथा भविष्य में प्राप्त होने वाले सुझावों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाता रहेगा। स्थानीय निवासियों को उनकी योग्यता एवं पात्रता के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि भविष्य में भी हम आप सभी के हित में उत्तम से उत्तम कार्य करते रहे।

पीठासीन अधिकारी– समय 02:47 बजे। आज की जनसुनवाई पर सभी लोगों ने अपने विचार रखे है, जिसके सहित परियोजना प्रस्तावक ने भी जो–जो संबंध में मुद्दे आये थे, उसके संबंध में स्पष्टीकरण दिया है। इसी के साथ मैं आज की जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा करता हूँ।

(अंकुर साहू)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा

(देवेन्द्र पटेल)
अपर कलेक्टर
जिला–कोरबा (छ.ग.)